श्री किशन बनाम श्री नसरुद्दीन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की जारी हुए
	28/4/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस मूल प्रा० पत्र सुनी गयी। प्रार्थीगण ने प्रा० पत्र पेश कर ग्राम घूघरा के ख० नं० 2697/3929, 2697/4082 कुल रकबा 0.59 हैक्टयर भूमि, तथा ख० नं० 2702, 2703 कुल रकबा 0.51 हैक्टयर भूमि बाबत इसी अनुवान का वाद बंटवारा व हक हिस्से की घोषणा बाबत पेश कर रखा है। जिसके निर्णय तक अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने का निवेदन किया है। प्रा०पत्र दिनांक 12.5.23 को दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के नोटिस विधिवत रूप से तामील होकर प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रस्तुत जमाबन्दी के आधार पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थीगण अपने हक व हिस्से की घोषणा करवा कर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा करवाना चाहते हैं, जिसके लिये पृथक से वाद पेश कर रखा है जो विचाराधीन है जिससे निर्णय तक उक्त भूमि खुर्द-बुर्द होती है या राजस्व रिकॉर्ड व मौके पर परिवर्तन होता है तो पक्षकारों में विवाद व मुकदमां बाजी बढ़ेगी। प्रार्थीगण के प्रा०पत्र का अप्रार्थीगण ने बावजूद नोटिस तामील कोई भी एतराज, उज्र या जबाब पेश नहीं किया है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के हक में प्रतीत होता है। अत: प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 12.5.23 को जारि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर(मु.) अजमेर	